बिहार सरकार
श्रम संसाधन विभाग
बिहार कौशल विकास मिशन
बिहार, पटना

आदेश संख्या–BSDM/संविदा नियुक्ति/स्था0–163/2021–1687 पटना, दिनांक–19/09/2

आदेश

संविदा के आधार पर लेखा प्रबंधक, बिहार कौशल विकास मिशन के नियोजन संबंधी गठित समिति की अनुशंसा के आलोक में सुश्री गुन्चा यासमीन, पिता–सैयद अलपतगीन ग़ज़नफर आरवी, पता–कासिम मंजिल, मिलकी मोहल्ला, आरा, पिन कोड–802301, बिहार को बिहार कौशल विकास मिशन, श्रम संसाधन विभाग के लेखा प्रबंधक के पद पर उनके योगदान के तिथि से अगले 03 (तीन) वर्ष के लिए संविदा के आधार पर नियोजित किया जाता है।

2. पारिश्रमिक/मानदेय के रूप में प्रतिमाह रू0–30,000/– (तीस हजार) मात्र देय होगा एवं कार्य संतोषजनक पाये जाने के उपरान्त पुनः संविदा की अवधि विस्तारित की जा सकती है तथा पारिश्रमिक/मानदेय के रूप में प्रति वर्ष पाँच प्रतिशत की वृद्धि भी की जा सकती है। इसके अतिरिक्त अन्य कोई राशि या भत्ता देय नहीं होगा।

3. इनका मुख्यालय (वर्त्तमान पदस्थापन स्थल) बिहार कौशल विकास मिशन, श्रम संसाधन विभाग, नियोजन भवन, बिहार, पटना होगा।

4. यह नियुक्ति बिल्कुल ही अस्थायी है, और इसे किसी भी समय बिना कारण बताए समाप्त किया जा सकता है।

5. शैक्षणिक योग्यता/अनुभव एवं अन्य प्रमाण पत्रों अथवा चरित्र में कोई गड़बडी पाये जाने पर उनके विरूद्ध कानूनी/अनुशासनिक कार्रवाई की जाएगी एवं उनकी सेवा समाप्त कर दी जाएगी।

6. नियुक्ति/पदास्थापन आदेश के एक माह के अन्दर उम्मीदवार को पदस्थापन स्थल (मुख्यालय) पर योगदान करना अनिवार्य होगा। निर्धारित अवधि के उपरान्त बिना स्पष्ट कारण के योगदान स्वीकृत नहीं किया जाएगा। ऐसे मामलों में नियुक्ति पदाधिकारी (प्रधान सचिव –सह– मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, बिहार कौशल विकास मिशन, श्रम संसाधन विभाग, बिहार, पटना) की पूर्वानुमति अनिवार्य होगी।

7. योगदान के समय नोटरी पब्लिक द्वारा निर्गत इस आशय का शपथ–पत्र देना होगा कि वे किसी अपराधिक मामले में संलिप्त/नामित आरोपी नहीं है एवं किसी मामले में उन्हें न्यायालय द्वारा सजा नहीं मिली है।

8. उम्मीदवार को स्वलिखित शपथ–पत्र देना होगा कि वे किसी सरकारी/निजी नौकरी/नियोजन में वर्त्तमान में नहीं है।

9. प्रथम योगदान/पदस्थापन स्थल पर योगदान देने के लिए कोई यात्रा–भत्ता देय नहीं होगा।

10. इन नियोजित कर्मी को छुट्टी की अनुमान्यता नहीं होगी। उन्हें सरकारी सेवक को अनुमान्य आकस्मिक अवकाश मात्र ही अनुमान्य होगा।

11. संविदा के आधार पर नियोजित लेखा प्रबंधक सरकारी सेवक नहीं माने जायेंगे और सरकारी सेवक को अनुमान्य किसी भी सुविधा के वे हकदार नहीं होंगे। संविदा के आधार पर नियोजन के बाद सरकारी सेवा में नियमितीकरण का उनका कोई भी दावा नहीं बनेगा।

12. संविदा के अवधि समाप्ति के पूर्व यदि नियोजित व्यक्ति का पूनर्नियोजन नहीं होता तो वैसी स्थिति में निर्धारित तिथि को उनका नियोजन स्वतः समाप्त माना जाएगा और इसके लिए कोई अलग से आदेश निर्गत किया जाना अपेक्षित नहीं होगा।

13. नियोक्ता तथा संविदा के आधार पर नियोजित किए जाने वाले उम्मीदवार के बीच विहित–प्रपत्र में एकरारनामा सम्पन्न किया जाएगा।

14. नियोजित व्यक्ति को निदेशित किया जाता है कि वे पत्र प्राप्ति के एक सप्ताह के अन्दर प्रधान सचिव –सह– मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, बिहार कौशल विकास मिशन, श्रम संसाधन विभाग, बिहार, पटना के समक्ष उपस्थित होकर विहित–प्रपत्र में एकरारनामा सम्पन्न करेंगे। एकरारनामा सम्पन्न होने के बाद 15 दिनों के अन्दर विनिर्दिष्ट पदस्थापन पर योगदान नहीं देने पर यह नियोजन स्वतः समाप्त माना जाएगा।

15. यह नियोजन संविदा अवधि समाप्ति के पूर्व उभय पक्षों द्वारा एक माह की पूर्व सूचना देकर या एक माह की संविदा राशि एकमुश्त देकर समाप्त की जा सकती है।

16. संविदा पर नियोजित कर्मी द्वारा राज्य सरकार एवं बिहार कौशल विकास मिशन द्वारा निर्धारित दायित्वों का निर्वहन करना होगा।

17. संविदा पर नियोजित कर्मी पर प्रशासनिक नियंत्रण बिहार कौशल विकास मिशन, श्रम संसाधन विभाग, बिहार, पटना का होगा।

19/9/23

मिशन निदेशक
बिहार कौशल विकास मिशन
श्रम संसाधन विभाग
बिहार, पटना।

ज्ञापांकः–BSDM / संविदा नियुक्ति / स्था0–163 / 2021- 1687 पटना, दिनांक– 19/09/2023

प्रतिलिपिः–सुश्री गुन्चा यासमीन, पिता–सैयद अलपतगीन ग़ज़नफर आरवी, पता–कासिम मंजिल, मिलकी मोहल्ला, आरा, पिन कोड–802301, बिहार।

19/9/23

मिशन निदेशक
बिहार कौशल विकास मिशन
श्रम संसाधन विभाग
बिहार, पटना।

ज्ञापांकः–BSDM / संविदा नियुक्ति / स्था0–163 / 2021 - 1687 पटना, दिनांक– 19/09/2023

प्रतिलिपिः– सरकार के अवर सचिव, श्रम संसाधन विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

(2) श्रीमति प्रियेश नन्दिनी, आई0टी0 मैनेजर, श्रम संसाधन विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं विभागीय वेबसाईट पर प्रकाशन हेतु आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

(3) प्रोजेक्ट डायरेक्टर, E&Y/MKCL, बिहार कौशल विकास मिशन को BSDM के वेबसाईट पर प्रकाशन हेतु आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

19/9/23

मिशन निदेशक
बिहार कौशल विकास मिशन
श्रम संसाधन विभाग
बिहार, पटना।